

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260209, फैक्स : 07752-260154

ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 296/बै.प्र./2024

बिलासपुर, दिनांक : 24-12-2024

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण

All Hon'ble Members

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,

Standing Committee of Academic Council

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

बिलासपुर (छ.ग.)

Bilaspur (C.G.)

विषय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 195वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

Subject :- Dispatch of minutes of 195rd meeting of Standing Committee of Academic Council dated 24.12.2024.

—0—

महोदय/महोदया,

Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 24.12.2024 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 195वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 195rd meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 24.12.2024 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/by order

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

बिलासपुर, दिनांक : 24-12-2024

पृ० क्रमांक 297/बै.प्र./2024

प्रतिलिपि/Copy to :-

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for information of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव-अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 195वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 195वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 को प्रातः 10.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
4.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
8.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० एच.एस.तिवारी	सदस्य
11.	प्रो० रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
12.	प्रो० भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	डॉ० सम्पूर्णानंद झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	प्रो० ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० पी.पी. मूर्ति
2. प्रो० अमित कुमार सक्सेना, डायरेक्टर-आईक्यूएसी
3. प्रो० शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता-छात्रकल्याण

कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। कुलपति महोदय ने भौतिकी के नियम क्रिया-प्रतिक्रिया को सामान्य जीवन से जोड़कर मार्गदर्शन किया। कुलपति महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 194वीं बैठक दिनांक 09.12.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 194वीं बैठक दिनांक 09.12.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 194वीं बैठक दिनांक 09.12.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 194वीं बैठक दिनांक 09.12.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों के लिये सुपरन्यूमेररी सीट सृजन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों के लिये सुपरन्यूमेररी सीट सृजन संबंधी प्रस्तावित नीति का अनुमोदन किया जाय एवं आगामी शैक्षणिक सत्र से संबंधित आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाय।


A. Ranadive
24-12-2024


24/12/2024

विषय क्र. 04. शक्ति पीठों के संबंध में अध्ययन केन्द्र एवं शक्ति चेयर की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शक्ति पीठों के संबंध में अध्ययन केन्द्र एवं शक्ति चेयर की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05. मूक कोर्स (MOOC Courses) हेतु गाईड लाईन (SoP) के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि मूक कोर्स (MOOC Courses) हेतु प्रस्तावित गाईड लाईन (SoP) के प्रारूप का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 06. परीक्षा प्रारम्भ तिथि में संशोधन किये जाने के संबंधी प्रस्ताव पर विचार एवं पुष्टि।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा प्रारम्भ तिथि में संशोधन किये जाने के संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 07. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 09.12.2024 में प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 09.12.2024 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन निम्नानुसार किया जाय—

1. पुनरीक्षित अकादमिक कैलेण्डल 2024–25 का अनुमोदन किया जाय।
2. मूक कोर्स (MOOC Courses) हेतु प्रस्तावित गाईड लाईन (SoP) के प्रारूप का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

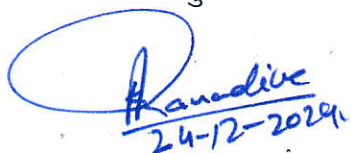
विषय क्र. 08. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 16.12.2024 के अनुमोदन पर विचार।

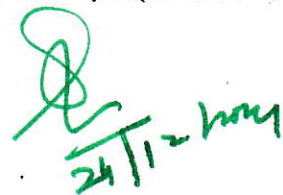
निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 16.12.2024 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का निम्नानुसार अनुमोदन किया—

1. प्रस्तावित दो नये पाठ्यक्रम एम.ए. हिन्दू स्टडीज एवं एम.ए. ट्राईबल स्टडीज प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
2. करियर कॉउंसिलिंग एवं विकास केन्द्र स्थापित किये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु समिति गठित की जाय एवं समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 09. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के महिला केन्द्र के अंतर्गत (1) Women, Law & Gender Justice, (2) Community Based Participatory Research पर 06 माह का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के महिला केन्द्र के अंतर्गत (1) Women, Law & Gender Justice, (2) Community Based Participatory Research पर 06 माह का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन आंशिक संशोधन के साथ किया जाय एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।


24-12-2024


24/12/2024

विषय क्र. 10. शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 25.11.2024 द्वारा अनुशंसित UG, PG एवं Pre-Ph.D. coursework पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 25.11.2024 द्वारा अनुशंसित UG, PG एवं Pre-Ph.D. coursework पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 11. विभिन्न विक्रेताओं, संस्थानों, व्यक्तियों, शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों, सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों आदि के स्वैच्छिक सहयोग से छात्र गतिविधियों के लिए मंच आदि के साथ आम खुली जगह के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि पूर्व में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.10.2024 के विषय क्रमांक-5 में लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि छात्रों की सांस्कृतिक व गैर अकादमिक गतिविधियों तथा अकादमिक विमर्श इत्यादि के लिए भारतेन्दु भवन (पुराना प्रबंधन भवन) के पास उपलब्ध खुले स्थान को विकसित कर कर मंच जिसमें एक स्थान पर देवी सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित हो, निर्माण किया जाय।

स्थायी समिति ने यह अनुशंसा दी कि उक्त छात्रोपयोगी विकास के कार्य को संस्थानों, व्यक्तियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, संगठनों इत्यादि के सहयोग से पूर्ण किया जावे।

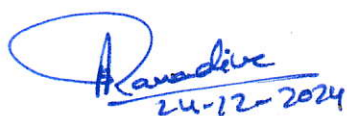
स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ (ए.बी. आर.एस.एम.) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय -इकाई के पत्र (क्रमांक ए.बी.आर.एस.एस./जी.जी. वी./024/01, दिनांक 10.12.2024) को स्वीकृत किया जावे, तथा ए.बी.आर.एस.एम., गुरु घासीदास विश्वविद्यालय-इकाई को अनुमति दी जावे कि पत्र में किये गये अनुरोध अनुसार, उक्त विकास के कार्य क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें व समन्वयन, निगरानी आदि में अपना योगदान दें।

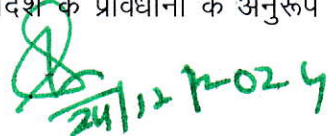
अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अध्ययन मण्डल, वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल वनस्पति विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 13.09.2024 के माध्यम से अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।


24-12-2024


24/12/2024

अ.अ.वि.क्र .02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं हंसवाहिनी ब्लड केन्द्र तथा बालाजी चेरिटेबल ब्लड केन्द्र के मध्य प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अ.अ.वि.क्र .03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं YRRNA Sysems Private Limited के मध्य प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अ.अ.वि.क्र .04 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 23.12.2024 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसायें प्रस्तुत की गई।

ग्यारहवें दीक्षांत समारोह के सुचारु संचालन हेतु यह निर्णय लिया गया कि दीक्षांत शोभा यात्रा के आरोहण के दौरान प्रस्तावित मंत्रोच्चारण कार्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ग्यारहवें दीक्षांत समारोह आयोजन में होने वाले व्यय के लिए रुपये 40 लाख की धनराशि स्वीकृत की जाय एवं इस हेतु बजट प्रावधान किये जायें।

अ.अ.वि.क्र .05 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष इतिहास विभाग द्वारा एम.ए. हिन्दू स्टडीज के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

एन्थ्रोपॉलोजी विभाग द्वारा एम.ए. ट्राईबल स्टडीज पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) द्वारा केरियर काउंसिलिंग एवं विकास केन्द्र की स्थापना हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि उपरोक्त तीनों विषयों पर विषय क्रमांक-8 के अधीन निर्णय लिया जा चुका है। अतः विषय क्रमांक-8 में लिये गये निर्णय को इस विषय के लिए ही मान्य कर लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि स्नातकोत्तर स्तर के गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जिनका नियमन किसी नियामक निकाय द्वारा नहीं किया जाता है, में प्रवेश हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा को समाप्त किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव


कुलपति/अध्यक्ष